



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी-अलवर

(पीठासीम अधिकारी - पिंकी आर ए एस)

संख्या- 01/04/2025 जीसीएमएन सं. 2023/10

दर्ज तिथि-03.01.2023

1. रामनारायण पुत्र रामसहाय
 2. कल्याण पुत्र रामसहाय
 3. भरीरथ पुत्र रामसहाय
- भररथ जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान टोडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

बनाम

वादीगण

1. पप्पू पुत्र रामसहाय जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान टोडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
.....असल प्रतिवादी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू-स्वामी थानागाजी जिला अलवर।
3. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित

वादी अधिवक्ता:- श्री देवीसहाय शर्मा।

प्रतिवादी अधिवक्ता:- अनुपस्थित।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 1.26 है0 वार्के ग्राम टोडा तहसील प्रतापगढ जिला अलवर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता

कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टियां दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार प्रतापगढ़ को दिये जाते हैं।

खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म	ल्गान
कल्याण पुत्र रामसहाय जाति कुम्हार (प्रजापति) साठ देह खातेदार	82/1	0.30 है०	चाही तृतीय	03.30
भागीरथ पुत्र रामसहाय जाति कुम्हार (प्रजापति) साठ देह खातेदार	82/2	0.30 है०	चाही तृतीय	03.30
रामनारायण पुत्र रामसहाय जाति कुम्हार (प्रजापति) साठ देह खातेदार	82/4	0.30 है०	चाही तृतीय	03.30
पप्पू पुत्र रामसहाय जाति कुम्हार (प्रजापति) साठ देह खातेदार	82/3	0.30 है०	चाही तृतीय	03.30
शामलात खातेदार	82/5	0.06 है०	चाही तृतीय	0.66

उक्तानुसार पक्षकारान् अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक्-पृथक् खाता दर्ज कराने के अधिकारी हैं तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे। ना ही किसी प्रकार के कार्य कार्र में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

यह पर्चा डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 08.09.2025 को लिखवाई जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(मिर्की) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी-अलवर